कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक–भ–72/06 दिनांक–4–01–2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
फोरेस्ट कॉलोनी, इन्दिरानगर,
देहरादून।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के थाना घनसाली के निर्माण हेतु वर्तमान में ऑन लाईन प्रस्तुत प्रस्ताव में आपके द्वारा निम्न कमियों को पूर्ण करते हुए पुनः बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर ऑन लाईन प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गई है।

बिन्दु संख्या–1– एफ0आर0ए0 रिर्पोट में रिर्पोट तैयार किये जाने की तिथि अंकित नहीं है।

बिन्दु संख्या–2– थाना घनसाली के निमार्ण हेतु पूर्व में चयनित एवं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 0.10 है0वन भूमि को निरस्त कर पुनः उक्त भूमि के स्थान पर 0.20 है0नवीन वन भूमि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में औचित्यपूर्ण टिप्पणी ऑन लाईन प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त सम्बन्ध में अपेक्षित बिन्दुओं की सूचना निम्नॉनुसार प्रेषित की जा रही है:–

बिन्दु संख्या–1 एफ0आर0ए0 रिर्पोट अंकित किये जाने की तिथि अंकित कर दी गई है।

बिन्दु संख्या 2 भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 0.10 है0वन भूमि को कार्यदायी संस्था के अधिकारियों द्वारा भूमि का निरीक्षण किये जाने के उपरान्त चयनित भूमि गदेरे में होने, इसमें कतिपय चीड़ के वृक्ष होने तथा प्राकृतिक आपदा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा कारणों एवं वृक्षों का पातन किये जाने में अतिरिक्त धनराशि व्यय होने के दृष्टिगत चयनित कार्यस्थल को कार्य सम्पादन हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा प्राप्त शासनादेश संख्याः 245/XX(1)–2014–4(17)2010 दिनांक 29–1–2014 की प्रति सलंग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः आपके द्वारा अपेक्षित आपत्तियॉ ऑन लाईन प्रस्तुत की जा रही है।

सलंग्न–यथोक्त

4/1/16

पुलिस अधीक्षक
टिहरी गढ़वाल।